

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, विद्युत मण्डल एस0डी0ए0
कम्पलैक्स शिमला के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि
1.4.2016 से 31.3.2017

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम -2004 की धारा 28(3) के अंतर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी-4(डी)1-1/92/2, दिनांक 13-09-2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल, शिमला-9 के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री एन०के० भल्ला, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा विद्युत मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया:-

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्यां	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	विक्रीकर की कम वसूली करना	4	1.18
2	वाहनों की ईंधन की खपत निर्धारित माप ढण्डो से कम होने के फलस्वरूप वित्तिय हानि	5.1	2.43
3	वाहनों में स्थानीय यात्रा में निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन प्रयोग करने के कारण वित्तीय हानि	5.2	0.76
4	संविदाकारों से सुरक्षित अग्रिमों की वसूली शेष	6	28.42
5	निक्षेप कार्यों (Deposit Works) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	7	2962.14
6	दिनांक 31-03-2017 तक स्टाफ अग्रिमों का समायोजन शेष	8(क)	4.04
7	विविध अग्रिमों का समायोजन न करना	8(ख)	6.69
8	सेवा कर व स्वच्छ भारत सैस को सम्बंधित विभागों में समय पर जमा न करना	9	5.34

9	संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति राशि के रूप में सम्भावित अधिक भुगतान	10	5.59
10	अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित कार्य मदों का सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना भुगतान	12	3.27

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष/अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति सलग्न परिशिष्ट-“क” में दर्शाई गई है। विभिन्न वर्षों के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निम्न विवरणानुसार 68 पैरे अनिर्णीत हैं:-

क्रम संख्यां	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1 4/1992	से 3/1993	1
2 4/1995	से 3/1996	1
3 4/1997	से 3/1998	1
4 4/1998	से 3/1999	1
5 4/1999	से 3/2000	1
6 4/2000	से 3/2001	2
7 4/2001	से 3/2002	2
8 4/2002	से 3/2003	1
9 4/2003	से 3/2004	3
10 4/2004	से 3/2005	2
11 4/2005	से 3/2006	5
12 4/2006	से 3/2007	2
13 4/2007	से 3/2008	4
14 4/2008	से 3/2009	6
15 4/2009	से 3/2010	8
16 4/2010	से 3/2011	5
17 4/2011	से 3/2012	5
18 4/2012	से 3/2013	4
19 4/2013	से 3/2014	3
20 4/2014	से 3/2015	3
21	4/2015 से 3/2016	8
कुल योग		68

अतः अधिशाषी अभियंता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, विद्युत मण्डल शिमला -9 उपरोक्त अनिर्णीत पैरों पर अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरांत इन पैरों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, विद्युत मण्डल शिमला के लेखों अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण कार्य श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी

द्वारा दिनांक 11/12/2017 से 08/01/2018 तक एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कुसुम्पटी शिमला-9 में किया गया। माह 9/2016 के लेखाओं का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, विद्युत मण्डल शिमला के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख तथा सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। उपलब्ध करवाये गये अभिलेख व सूचनाओं के गलत एवं अपूर्ण होने की अवस्था में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

उक्त संस्था के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के अंकेक्षण शुल्क की गणना तथा मांग अलग से की जाएगी।

4 निर्माण कार्य बिलों से बिक्रीकर के रूप में ₹1.18 लाख की कम वसूली करना

प्रधान सचिव (आवकारी एवं कराधान), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/2015-लूज, दिनांक 03-6-2015 के अंतर्गत अधिसूचित तथा तदनुसार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार, दिनांक 06-6-2015 में प्रकाशित Himachal Pradesh Value Added Tax (3rd Amendment) Rules, 2015 के तहत नियम 38 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार अधिसूचना की तिथि से सभी निर्माण कार्य के बिलों से 3% बिक्रीकर की कटौती की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान कार्य बिलों की जांच पर पाया गया कि संलग्न परिशिष्ट “ख” में दर्शाये गये विवरणानुसार विभिन्न संविदाकारों से 3% अपेक्षित बिक्री कर की कटौती करने के स्थान पर 2% बिक्री कर की कटौती ही की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹118207 की कम वसूली की गई। अतः उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा कम कटौती की गई राशि की वसूली उचित ख़ात से करके सरकारी कोष में जमा करवाया जाये।

5(1) वाहनों की ईंधन खपत निर्धारित मापदण्डों से कम होने के फलस्वरूप ₹2.43 लाख की सम्भावित वितीय हानि

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: जी0ए0डी0-ए(डी)-1-98 दिनांक 21.1.97, जी0ए0डी0-ए(डी)-1-1/96 दिनांक 04-2-2006 तथा जी0ए0डी0-ए(डी)-1-1/96-1 दिनांक 14-7-2014 द्वारा सरकार ने तथा हिमुडा ने अपने स्तर पर कुछ वाहनों की पेट्रोल/डीजल की औसत खपत प्रति लीटर/किलोमीटर निम्न प्रकार से निर्धारित की है:-

वाहन	स्थानीय यात्रा प्रति लीटर	लम्बी दूरी की यात्रा प्रति लीटर
टोयटा इनोवा (डीजल)	07.24 कि0मी0	10.02 कि0मी0
मारुति एस0एक्स0 4	08.35 कि0मी0	09.10 कि0मी0

महिंद्रा स्कोर्पियो	06.28 कि०मी०	09.22 कि०मी०
मारुति-800	11.60 कि०मी०	14.00 कि०मी०
एसटीम एल०एक्स०	09.00 कि०मी०	10.00 कि०मी०
मारुति (एस्टीम)	9.74 (हिमुडा द्वारा निर्धारित)	
महिंद्रा स्कोर्पियो	7.50 (हिमुडा द्वारा निर्धारित)	
टोयटा इनोवा (डीजल)	8.40 (हिमुडा द्वारा निर्धारित)	

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वाहनों के संचालन के सम्बंध में औसत किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन खपत हेतु निर्धारित उपरोक्त मापदण्ड अन्य विभागों/बोर्डों की तरह हिमुडा पर भी अक्षरशः लागू होते हैं तथा इन मापदंडों को लागू करने के लिये सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमुडा द्वारा भी अनुदेश जारी किये गए हैं। जांच में पाया गया है कि इन अनुदेशों की पालना नहीं हो रही है जिसके कारण ईंधन की अधिक खपत हो रही है। अतः ईंधन की अधिक खपत की अवस्था में उचित स्त्रोत से निम्न विवरणानुसार ₹243223 की वसूली की जानी अपेक्षित है। अधिक ईंधन खपत बारे आपत्ति को बार-बार गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से भी हिमुडा प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है परंतु इस मामले में कोई भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जिसके फलस्वरूप तेल की अधिक खपत होने के साथ-2 वाहन चालकों के विरुद्ध वसूली में भी दिन प्रतिदिन बढ़ती हो रही है। यह प्रकरण विशेष रूप से सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमुडा के ध्यान में लाते हुये यह परामर्श दिया जाता है कि जो वाहन बहुत पुराने हैं और तेल की खपत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं आ रही है उन वाहनों की तेल खपत की औसत का निर्धारण सक्षम अधिकारी से यथाशीघ्र करवाने के उपरांत तदनुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिन वाहनों की ईंधन की खपत निर्धारित मापदंडों से कम पाई गई है का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1.मारुति-800 (पैट्रोल) एच०पी-63-ए-0607										
माह	माह के दौरान तय दूरी			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर अपेक्षित तेल की खपत (जी०ए०डी० द्वारा निर्धारित औसत के आधार पर)			ईंधन की अधिक खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
	लम्बी यात्रा में तय दूरी	स्थानीय यात्रा में तय दूरी	कुल तय दूरी		लम्बी यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	स्थानीय यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	ईंधन की कुल अपेक्षित खपत			
4/2016	1925	157	2082	193.00	137.50	13.53	151.03	41.97	62.88	2639
5/2016	2507	66	2573	244.59	179.07	5.69	184.76	59.83	64.05	3832
6/2016	2862	88	2950	279.00	204.42	7.59	212.01	66.99	66.67	4466
7/2016	1496	71	1567	134.00	106.86	6.12	112.98	21.02	65.76	1382
8/2016	2385	98	2483	250.04	170.36	8.45	178.81	71.23	62.17	4428
9/2016	2453	48	2501	225.00	175.21	4.14	179.35	45.65	65.30	2981
10/2016	2060	91	2151	195.00	147.14	7.84	154.98	40.02	67.50	2701

11/2016	2392	56	2448	224.00	170.86	4.83	175.69	48.31	68.68	3318
12/2016	2500	36	2536	220.00	178.57	3.10	181.67	38.33	69.96	2682
1/2017	1836	149	1985	181.00	131.14	12.84	143.98	37.02	72.15	2671
2/2017	2625	90	2715	250.00	187.50	7.76	195.26	54.74	72.15	3949
3/2017	2207	93	2300	196.00	157.64	8.02	165.66	30.34	72.15	2189
योग										37238

2.मारुति-एस्टीम (पैट्रोल) एच0पी0-07-ए-0592										
माह	माह के दौरान तय दूरी			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर अपेक्षित तेल की खपत (जी0ए0डी0 द्वारा निर्धारित औसत के आधार पर)			ईंधन की अधिक खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
	लम्बी यात्रा में तय दूरी	स्थानीय यात्रा में तय दूरी	कुल तय दूरी		लम्बी यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	स्थानीय यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	ईंधन की कुल अपेक्षित खपत			
4/2016	1266	517	1783	224	126.6	57.44	184.04	39.96	62.88	2513
5/2016	4393	393	4786	518	439.3	43.67	482.97	35.03	64.05	2244
7/2016	2905	590	3495	418	290.5	65.56	356.06	61.94	65.76	4073
8/2016	3003	504	3507	379	300.3	56.00	356.30	22.70	62.17	1411
9/2016	2755	685	3440	372	275.5	76.11	351.61	20.39	65.30	1332
10/2016	4313	294	4607	502	431.3	32.67	463.97	38.03	67.50	2567
11/2016	2145	465	2610	280	214.5	51.67	266.17	13.83	68.68	950
12/2016	3963	474	4437	480	396.3	52.67	448.97	31.03	69.96	2171
2/2017	3772	354	4126	442	377.2	39.33	416.53	25.47	72.15	1838
3/2017	3219	269	3488	372	321.9	29.89	351.79	20.21	72.15	1458
योग										20557

3.इनोवा (डीजल) एच0पी0-52-बी-0012										
माह	माह के दौरान तय दूरी			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर अपेक्षित तेल की खपत (जी0ए0डी0 द्वारा निर्धारित औसत के आधार पर)			ईंधन की अधिक खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
	लम्बी यात्रा में तय दूरी	स्थानीय यात्रा में तय दूरी	कुल तय दूरी		लम्बी यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	स्थानीय यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	ईंधन की कुल अपेक्षित खपत			
4/2016	2520	668	3188	375	251.50	92.27	343.77	31.23	49.21	1537
5/2016	1848	957	2805	328	184.43	132.18	316.31	11.69	52.07	609
6/2016	1497	763	2260	266	149.40	105.39	254.79	11.21	55.47	622
9/2016	2316	854	3170	373	231.14	117.96	349.10	23.90	53.39	1276
10/2016	2770	783	3553	418	276.45	108.15	384.60	33.40	55.80	1864
1/2017	1732	745	2477	290	172.85	102.90	275.75	14.25	59.43	847

2/2017	1056	678	1734	202	105.39	93.65	199.04	2.96	59.43	176
योग										6931

4.इनोवा (डीजल) एच0पी0-68-ए-0012										
माह	माह के दौरान तय दूरी			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर अपेक्षित तेल की खपत (जी0ए0डी0 द्वारा निर्धारित औसत के आधार पर)			ईंधन की अधिक खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
	लम्बी यात्रा में तय दूरी	स्थानीय यात्रा में तय दूरी	कुल तय दूरी		लम्बी यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	स्थानीय यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	ईंधन की कुल अपेक्षित खपत			
4/2016	3861	774	4635	563	385.33	106.91	492.24	70.76	49.21	3482
5/2016	5257	487	5744	720	524.65	67.27	591.92	128.08	52.07	6669
6/2016	1923	114	2037	262	191.92	15.75	207.67	54.33	55.47	3014
7/2016	3388	744	4132	470	338.12	102.76	440.88	29.12	55.07	1604
8/2016	2719	813	3532	423	271.36	112.29	383.65	39.35	52.70	2074
9/2016	1943	507	2450	282	193.91	70.03	263.94	18.06	53.39	964
10/2016	2441	622	3063	410	243.61	85.91	329.52	80.48	55.80	4491
11/2016	2622	758	3380	397	261.68	104.70	366.38	30.62	55.80	1709
12/2016	3779	683	4462	540	377.15	94.34	471.49	68.51	57.10	3912
1/2017	1520	325	1845	236	151.70	44.89	196.59	39.41	59.43	2342
2/2017	2956	524	3480	406	295.00	72.38	367.38	38.62	59.43	2295
3/2017	2462	745	3207	405	245.71	102.90	348.61	56.39	59.43	3351
योग										35907

5.इनोवा (डीजल) एच0पी0-68-बी-0001										
माह	माह के दौरान तय दूरी			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर अपेक्षित तेल की खपत (जी0ए0डी0 द्वारा निर्धारित औसत के आधार पर)			ईंधन की अधिक खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
	लम्बी यात्रा में तय दूरी	स्थानीय यात्रा में तय दूरी	कुल तय दूरी		लम्बी यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	स्थानीय यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	ईंधन की कुल अपेक्षित खपत			
4/2016	5393	228	5621	705	538.22	31.49	569.71	135.29	49.21	6658
5/2016	7395	42	7437	927	738.02	5.80	743.82	183.18	52.07	9538
6/2016	8120	106	8226	877	810.38	14.64	825.02	51.98	55.47	2883
7/2016	3062	244	3306	357	305.59	33.70	339.29	17.71	55.07	975
8/2016	4091	160	4251	531	408.28	22.10	430.38	100.62	52.70	5303
9/2016	4544	298	4842	590	453.49	41.16	494.65	95.35	53.39	5091
10/2016	7061	0	7061	887	704.690	0	704.69	182.31	55.80	10173
11/2016	5468	145	5613	805	545.71	20.03	565.74	239.26	55.80	13351

12/2016	6702	0	6702	781	668.86	0	668.86	112.14	57.10	6403
1/2017	7679	0	7679	902	766.37	0	766.37	135.63	59.43	8060
2/2017	4448	56	4504	528	443.91	7.73	451.64	76.36	59.43	4538
3/2017	5021	464	5485	727	501.10	64.09	565.19	161.81	59.43	9616
योग										82589

6.इनोवा (डीजल) एच0पी0-51-ए-0024										
माह	माह के दौरान तय दूरी			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर अपेक्षित तेल की खपत (जी0ए0डी0 द्वारा निर्धारित औसत के आधार पर)			ईंधन की अधिक खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
	लम्बी यात्रा में तय दूरी	स्थानीय यात्रा में तय दूरी	कुल तय दूरी		लम्बी यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	स्थानीय यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	ईंधन की कुल अपेक्षित खपत			
4/2016	968	42	1010	110	96.61	5.80	102.41	7.59	49.21	374
6/2016	2249	581	2830	353	224.45	80.25	304.70	48.30	55.47	2679
7/2016	1107	545	1652	194	110.48	75.28	185.76	8.24	55.07	454
9/2016	3041	476	3517	461	303.49	65.75	369.24	91.76	53.39	4899
10/2016	2598	369	2967	370	259.28	50.97	310.25	59.75	55.80	3334
12/2016	2465	542	3007	326	246.01	74.86	320.87	5.13	57.10	293
1/2017	3319	334	3653	420	331.24	46.13	377.37	42.63	59.43	2534
2/2017	1399	302	1701	200	139.62	41.71	181.33	18.67	59.43	1110
3/2017	1817	572	2389	294	181.34	79.01	260.35	33.65	59.43	2000
योग										17677

7.स्कोर्पिओ (डीजल) एच0पी0-07-ए-9900										
माह	माह के दौरान तय दूरी			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर अपेक्षित तेल की खपत (जी0ए0डी0 द्वारा निर्धारित औसत के आधार पर)			ईंधन की अधिक खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
	लम्बी यात्रा में तय दूरी	स्थानीय यात्रा में तय दूरी	कुल तय दूरी		लम्बी यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	स्थानीय यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	ईंधन की कुल अपेक्षित खपत			
4/2016	1143	512	1655	219	123.97	81.53	205.50	13.5	49.21	664
5/2016	2485	520	3005	405	269.52	82.80	352.32	52.68	52.07	2743
6/2016	1505	479	1984	268	163.23	76.27	239.50	28.5	55.47	1581
9/2016	1284	635	1919	241	139.26	101.11	240.37	0.63	53.39	34
10/2016	1417	457	1874	237	153.69	72.77	226.46	10.54	55.80	588
12/2016	477	536	1013	142	51.74	85.35	137.09	4.91	57.10	280
1/2017	1292	380	1672	215	140.13	60.51	200.64	14.36	59.43	853
2/2017	320	457	777	156	34.71	72.77	107.48	48.52	59.43	2884
3/2017	1430	420	1850	258	155.10	66.88	221.98	36.02	59.43	2141
योग										11768

8.मारुति-एस0एक्स0-4(पैट्रोल) एच0पी0-07-सी-0022										
माह	माह के दौरान तय दूरी			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर अपेक्षित तेल की खपत (जी0ए0डी0 द्वारा निर्धारित औसत के आधार पर)			ईंधन की अधिक खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
	लम्बी यात्रा में तय दूरी	स्थानीय यात्रा में तय दूरी	कुल तय दूरी		लम्बी यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	स्थानीय यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	ईंधन की कुल अपेक्षित खपत			
4/2016	663	661	1324	157	72.86	79.16	152.02	4.98	62.88	313
5/2016	1439	492	1931	233	158.13	58.92	217.05	15.95	64.05	1022
6/2016	783	601	1384	164	86.04	71.98	158.02	5.98	66.67	399
7/2016	626	452	1078	127	68.79	54.13	122.92	4.08	65.76	268
9/2016	1164	608	1772	225	127.91	72.81	200.72	24.28	65.30	1585
10/2016	1177	370	1547	174	129.34	44.31	173.65	0.35	67.50	24
11/2016	551	571	1122	133	60.55	68.38	128.93	4.07	68.68	280
1/2017	2799	345	3144	371	307.58	41.32	348.90	22.10	72.15	1595
3/2017	2174	508	2682	345	238.90	60.84	299.74	45.26	72.15	3266
योग										8752

9.मारुति (एस्टीम) (पैट्रोल) एच0पी0-03-बी-0744										
माह	माह के दौरान तय दूरी			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर अपेक्षित तेल की खपत (जी0ए0डी0 द्वारा निर्धारित औसत के आधार पर)			ईंधन की अधिक खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
	लम्बी यात्रा में तय दूरी	स्थानीय यात्रा में तय दूरी	कुल तय दूरी		लम्बी यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	स्थानीय यात्रा हेतु ईंधन की अपेक्षित खपत	ईंधन की कुल अपेक्षित खपत			
8/2015	1990	646	2636	277	199.00	71.78	270.78	6.22	64.91	404
9/2015	1681	339	2020	211	168.10	37.67	205.77	5.23	62.56	327
10/2015	2311	255	2566	271	231.10	28.33	259.43	11.57	62.56	724
11/2015	2053	411	2464	261	205.30	45.67	250.97	10.03	63.18	634
3/2016	704	541	1245	172	70.40	60.11	130.51	41.49	60.42	2507
6/2016	2896	489	3385	378	289.60	54.33	343.93	34.07	66.67	2271
7/2016	1826	816	2642	287	182.60	90.67	273.27	13.73	65.76	903
9/2016	3482	628	4110	449	348.20	69.78	417.98	31.02	65.30	2026
10/2016	4744	391	5135	648	474.40	43.44	517.84	130.16	67.50	8786
1/2017	3386	273	3659	410	338.60	30.33	368.93	41.07	72.15	2963
3/2017	2293	352	2645	272	229.30	39.11	268.41	3.59	72.15	259
योग										21804

5(2) वाहनों में स्थानीय यात्रा हेतु निर्धारित माप दण्डों से अधिक ईंधन उपयोग करने के फलस्वरूप ₹0.76 लाख का अनियमित व्यय

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या: फिन-1(सी)14-1-92-बोल-2 दिनांक 27-5-2006 द्वारा सरकार ने राज्य मुख्यालय शिमला में वाहनों की स्थानीय यात्रा के लिये एक मास में 70 लीटर ईंधन उपयोग की सीमा निर्धारित की है। अंकेक्षण के दौरान लॉग बुकों की जांच पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न वाहनों में स्थानीय यात्रा हेतु 70 लीटर से अधिक ईंधन उपयोग किया गया है फलस्वरूप अनियमित रूप से ₹75751 का अधिक व्यय किया गया है जिसके सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक व्यय की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये:-

क्र०सं०	वाहन सं०	मास	स्थानीय यात्रा में तय दूरी हेतु निर्धारित माप दण्डों के अनुसार ईंधन की खपत	स्थानीय यात्रा हेतु उपयोग किये जाने वाले ईंधन की मासिक सीमा (लीटर में)	अधिक ईंधन खपत	दर	अधिक व्यय/वसूली योग्य राशि
1	एच०पी०-07-ए-0592	9/2016	76.11	70	6.11	65.30	399
2	एच०पी०-52-बी-0012	4/2016	92.27	70	22.27	49.21	1096
		5/2016	132.18	70	62.18	52.07	3238
		6/2016	105.39	70	35.39	55.47	1963
		7/2016	154.83	70	84.83	55.07	4672
		8/2016	161.33	70	91.33	52.70	4813
		9/2016	117.96	70	47.96	53.39	2561
		10/2016	108.15	70	38.15	55.80	2129
		11/2016	99.45	70	29.45	55.80	1643
		12/2016	121.41	70	51.41	57.10	2936
		1/2017	102.90	70	32.9	59.43	1955
		2/2017	93.65	70	23.65	59.43	1406
		3/2017	170.72	70	100.72	59.43	5986
3	एच०पी०-68-ए-0012	4/2016	106.91	70	36.91	49.21	1816
		7/2016	102.76	70	32.76	55.07	1804
		8/2016	112.29	70	42.29	52.70	2229
		10/2016	85.91	70	15.91	55.80	888
		11/2016	104.70	70	34.7	55.80	1936
		12/2016	94.34	70	24.34	57.10	1390
		2/2017	72.38	70	2.38	59.43	141
		3/2017	102.90	70	32.9	59.43	1955
4	एच०पी०-51-ए-0024	5/2016	75.97	70	5.97	52.07	311
		6/2016	80.25	70	10.25	55.47	569
		7/2016	75.28	70	5.28	55.07	291
		8/2016	283.56	70	213.56	52.70	11255
		11/2016	77.62	70	7.62	55.80	425
		12/2016	74.86	70	4.86	57.10	278
		3/2017	79.01	70	9.01	59.43	535
		4/2016	81.53	70	11.53	49.21	567
		5/2016	82.80	70	12.8	52.07	666
		6/2016	76.27	70	6.27	55.47	348
		7/2016	102.87	70	32.87	55.07	1810
		8/2016	89.97	70	19.97	52.70	1052

5	एच0पी0-07-ए-9900	9/2016	101.11	70	31.11	53.39	1661
		10/2016	72.77	70	2.77	55.80	155
		12/2016	85.35	70	15.35	57.10	876
		2/2017	72.77	70	2.77	59.43	165
6	एच0पी0-03-बी-0744	5/2015	75.33	70	5.33	70.32	375
		8/2015	71.78	70	1.78	64.91	116
		12/2015	74.67	70	4.67	62.55	292
		2/2016	87.56	70	17.56	60.00	1054
		7/2016	90.67	70	20.67	65.76	1359
7	एच0पी0-07-सी-0022	4/2016	79.16	70	9.16	62.88	576
		6/2016	71.98	70	1.98	66.67	132
		8/2016	102.40	70	32.4	62.17	2014
		9/2016	72.81	70	2.81	65.30	183
		12/2016	94.73	70	24.73	69.96	1730
योग							₹75751

6 सविंदाकारों से ₹28.42 लाख के सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) की वसूली शेष

:--

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विद्युत मंडल शिमला द्वारा बिजली निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न सविंदाकारों को सुरक्षित अग्रिम राशियों (Secured Advance) के रूप में किये गये भुगतान में से दिनांक 31-03-2017 तक ₹2841824 वसूली हेतु लम्बित थी। जांच में यह भी विदित हुआ कि इसमें से कुछ एक सविंदाकारों को लगभग 5 से 11 वर्ष पहले सुरक्षित अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था परंतु अभी तक इन राशियों का समायोजन /वसूली नहीं की गई थी। इस बारे में अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार-बार आपत्तियां उठाई गई हैं परंतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है अतः निम्न वर्णित सुरक्षित अग्रिम राशियों की वसूली सविंदाकारों/उचित स्रोत से यथाशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्यां	सविंदाकारों का नाम	अनुबंध संख्या	राशि(₹)मे
1	मै0 कालारा हाड्वेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर शिमला	5 वर्ष 2004-05	50,145.00
2	मै0 चढा एंड कम्पनी सोलन	13 वर्ष 2011-12	6,74,646.00
3	मै0 कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स ऊना	12 वर्ष 2010-11	2,82,081.00
4	यथोपरि	15 वर्ष 2010-11	2,63,739.00
5	यथोपरि	17 वर्ष 2012-13	3,66,413.00
6	मै0 भारद्वाज इलेक्ट्रीकल कम्पनी न्यू शिमला	4 वर्ष 2013-14	7,85,437.00
7	यथोपरि	17 वर्ष 2015-16	2,15,940.00
8	धर्मेन्द्र सिंह, इलेक्ट्रीकल कांट्रैक्टर, मण्डी	18 वर्ष 2014-15	2,03,423.00
		कुल योग	28,41,824.00

7 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों (Deposit Works) के लिये जमा ₹2962.14 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, विद्युत मण्डल शिमला द्वारा विविध कार्यों के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास संलग्न परिशिष्ट “ग” के अनुसार ₹29,62,14,787 जमा करवाए गए थे जिनके दिनांक 31-3-2017 तक उपयोगिता

प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गये थे जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि जिन प्राक्कलन के आधार पर राशि जमा करवाई गई थी उनके वास्तविक निष्पादन का विभागीय स्तर पर भी मूल्यांकन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कोई विचलन हो तो उसके परिणामस्वरूप कार्य के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करके यदि कोई राशि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास अप्रयुक्त रहती है तो उसे वापिस प्राप्त किया जाये या अन्य कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 स्टाफ अग्रिम ₹4.04 लाख तथा विविध अग्रिम ₹6.69 लाख समायोजन हेतु शेष

(क) दिनांक 31-03-2017 तक स्टाफ अग्रिम ₹4.04 लाख समायोजन हेतु शेष

अधीशाषी अभियंता (विद्युत), हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, विद्युत मण्डल शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक स्टाफ को दिये गये अग्रिमों ₹403861 (691015-287154) दर्शाई थी जिसका पृथक-पृथक विवरण निम्न प्रकार से है

(1) निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय स्टाफ अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशियों में से दिनांक 31-3-2017 तक ₹691015 समायोजन/वसूली हेतु शेष जिसके सम्बंध में यथाशीघ्र अपेक्षित अनुपालना उपरान्त इस विभाग को भी अवगत कराया जाये:-

क्रम सख्यां	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	दिनांक 31-03-2017 तक असमायोजित अग्रिम राशि(₹)में
1	श्रीमती रजनी दुगल	सहायक अभियंता(शिमला)	14105
2	श्रीमती रजनी दुगल	सहायक अभियंता(परवाणु)	8558
3	श्री राजेंद्र पाल	चालक	1,81,667
4	श्री सुरेंद्र सिंह	चालक	4,15,231
5	श्री नंद लाल	चालक	1,410
6	श्री दुर्गा दास	चालक	10,508
7	श्री सुनील कुमार	क्लीनर	38,535
8	श्री प्रकाश चंद	चालक	20,001
9	श्री दुर्गा राम	चालक	1,000
		कुल योग	₹6,91,015

(2) निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-2 पर जो स्टाफ अग्रिम दिया गया था उसका समायोजन करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों ने दिनांक 31-03-2017 तक विद्युत मंडल, कसुम्पटी को बिल्/वाउचर प्रस्तुत कर दिये थे परंतु मुख्य कार्यालय द्वारा दिए गये

स्टाफ अग्रिम के बारे में विद्युत मंडल, कसुम्पटी को 31-03-2017 तक सूचित नहीं किया गया जिसके कारण सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में राशि को (-) में दर्शाया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्यां	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	दिनांक 31-03-2017 तक असमायोजित अग्रिम राशि(-)में
1	श्री नरेश कुमार	सहायक अभियंता	(-)576
2	श्री सुरेंद्र कुमार	चालक	(-)45,015
3	श्री दुनी चंद	चालक	(-)1,952
4	श्री दिनेश कुमार	चालक	(-) 39,630
5	श्री नरेश कुमार	चालक	(-)33,312
6	श्री जगदीप कुमार	चालक	(-)34,039
7	श्री सुरेश कुमार	चालक	(-) 61,651
8	श्री मनोहर लाल	चालक	(-) 56,485
9	श्री मोहिंद्र लाल	चालक	(-) 3,213
10	श्री रमेश कुमार	चालक	(-)11281
कुल योग			(-) ₹ 2,87,154

उपरोक्त विवरणानुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में स्टाफ अग्रिम की राशि (-) में दर्शाई गई है उनके बारे में मुख्य कार्यालय निगम बिहार से प्रदत्त अग्रिम राशियों की सूचना प्राप्त करके उसका समायोजन भी मंडल स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य हेतु यह परामर्श भी दिया जाता है कि जिस आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा स्टाफ अग्रिम प्रदान किया जाता है उसका समायोजन भी उसी आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) दिनांक 31-03-2017 तक विविध अग्रिम ₹6.69 लाख समायोजन हेतु शेष

अधिशोषी अभियंता, विद्युत मंडल, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक विविध अग्रिमों की ₹6,68,545.40 निम्न विवरणानुसार समायोजन हेतु शेष थी, जिसका समयबद्ध समायोजन सुनिश्चित किया जाये तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये :-

क्रम संख्यां	कर्मचारी/संस्था का नाम	दिनांक 31-03-2016 तक असमायोजित अग्रिम राशि
1	निदेशक, ग्रामीण आवासीय विंग शिमला	4,794.55
2	निदेशक आर0आई0डी0 शिमला	5,775.20
3	प्रबंध निदेशक, (एच0पी0एम0सी0) शिमला	950.55
4	निदेशक, उद्योग विभाग शिमला	369.60
5	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग शिमला	721.50
6	श्री दिनेश कुमार, चालक	23,874.00
7	श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक	2,65,354.00

8	श्री सुरेन्द्र कुमार, चालक	(-)10,529.00
9	श्री नरेश कुमार, चालक	1,332.00
10	श्री दुर्गा दास, चालक	1,08,911.00
11	श्री सुनील कुमार, क्लीनर	1,18,281.00
12	मै0 शर्मा एंड को0 शिमला	306.00
13	श्री जगदीप कुमार, चालक	13280.00
14	मै. खरबन्दा ईलैक्ट्रिक, शिमला	1,33,402.00
15	श्री विश्वामित्र, बेलदार	1723.00
कुल योग		(-)₹6,68,545.40

नोट :- उपरोक्त क्रम संख्या: 6 व 13 पर वर्णित कर्मचारियों के पक्ष में दर्शाई गई राशियों के संदर्भ में निम्न पैरा (ग) के अनुसार संसोधन संभावित है।

(ग) विविध अग्रिम विवरणी में ₹0.46 लाख की राशि कम दर्शाना

अधिकांशी अभियंता, विद्युत मंडल, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला द्वारा दिनांक 31-3-2017 तक की विविध अग्रिमों की उपलब्ध करवाई गई सूचना की जांच में पाया गया कि श्री दिनेश कुमार, ड्राईवर व श्री जगदीप कुमार, ड्राईवर के पक्ष में उक्त तिथि को क्रमशः ₹23874 व ₹13280 वसूली/समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई हैं जबकि खाताबही पृ. 271 व पृ. 289 के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 31-3-2017 को इन कर्मचारियों से ₹46903 व ₹36309 की अग्रिम राशियां वसूली अथवा समायोजन हेतु शेष थीं। इस सम्बंध में अध्याचना संख्या: फिन(एल.ए.)एस.आर.के./82 दिनांक 02-1-2018 द्वारा कारणों की छानबीन करके स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त के सम्बंध में अन्तर के कारणों का पता लगाया जाये व तदनुसार वार्षिक खातों में आवश्यक संसोधन किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

9 एकत्रित सेवा कर ₹ 5.30 लाख व स्वच्छ भारत सैस ₹ 0.04 लाख सम्बंधित विभागों को भुगतान करना शेष

खाताबहियों की जांच पर यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान खाताबही पृ0 105 से 107 व पृ0 111 पर अंकित प्रविष्टियों के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्य बिलों से सेवा कर व स्वच्छ भारत सैस के रूप में क्रमशः ₹530063 व ₹3964 की कटौती की गई थी परन्तु इन राशियों को दिनांक 31-3-2017 तक सम्बंधित विभागों में जमा नहीं करवाया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बंध में अध्याचना संख्या: फिन(एल.ए.)एस.आर.के./85 दिनांक 02-1-2018 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त राशि को सम्बंधित विभागों में जमा न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये एकत्रित राशि को शीघ्र जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

10 संविदाकारों को धरोहर/प्रतिभूति के रूप में ₹5.59 लाख का सम्भावित अधिक भुगतान

संविदाकारों की प्रतिभूति जमा खाता बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न संविदाकारों के व्यक्तिगत खातों में ₹5,58,965 की धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि का अंतशेष डेबिट रूप में पाया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है। संविदाकारों की प्रतिभूति खाता में अंतशेष का डेबिट होना यह दर्शाता है कि जितनी राशि संविदाकारों से धरोहर/प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई थी उससे अधिक राशि का भुगतान संविदाकार को कर दिया गया। संविदाकार को जमा प्रतिभूति से अधिक भुगतान एक अत्यंत गंभीर अनियमितता है। अतः इस संबंध में उचित छानबीन की जाए और ₹5,58,965 के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली संबन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:-

क्रम सं०	खाताबही पृ० सं०	संविदाकार का नाम	राशि (₹) में
1	303	मै० ईलैक्ट्रीकल ट्रेडर्स, रामपुर	84668
2	307	मै० कालरा हाइवैयर एण्ड ईलैक्ट्रीकल, शिमला	145967
3	309	मै० साई ईलैक्ट्रीकल, शिमला	276852
4	315	श्री प्रकाश चन्द शर्मा, बी०सी०एस०, शिमला	12782
5	321	श्री अशोक कुमार, ईलैक्ट्रीकल कान्ट्रेक्टर, जोगिन्द्रनगर	1531
6	335	श्री नवतेग सिंह, ईलैक्ट्रीकल कान्ट्रेक्टर, बददी	23816
7	360	मै० सुरेन्द्र ईलैक्ट्रीकल कान्ट्रेक्टर, नाहन	13349
योग			₹558965

11 भुगतान योग्य प्रतिभूति विवरणी (Security payable statement) को प्रस्तुत/तैयार न करना

अंकेक्षण में प्रस्तुत लेखों की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-2017 को भुगतान योग्य प्रतिभूति विवरणी को तैयार नहीं किया गया था। इस सम्बंध में अधियाचना संख्या: फिन(एल.ए.)एस.आर.के./84 दिनांक 02-1-2018 द्वारा अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अपेक्षित भुगतान योग्य प्रतिभूति विवरणी को तैयार किया जाए।

12 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त (Extra) तथा प्रतिस्थापित (substitute) कार्य मर्दों ₹3.27 लाख का अनियमित भुगतान

Name of Work:- Repair and Decoration of Co-op Bank Complex at ACSTI Sangti (SH:- Providing E.I. work)

Agency :- M/s Bhardwaj Electrical, New-Shimla

Agreement No.:- 22 of 2015-16

Award Letter No.:- HIMUDA-PP&E/W-7/2010/2086-90, dated 16-11-2015

D.O.C :- 20-11-2015

Date of Comp. :- In Progress

M.B. No. :- 260/16
 Type of Bill :- 3rd Running Bill
 Amount of Bill :- ₹738680
 Voucher No. :- 60-61 of 2/2017

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बंध में संविदाकार को किये गये भुगतान की जांच पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹3,26,580 का भुगतान तृतीय चलत बिल तक अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों हेतु किया गया था। इन अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित कार्य मदों हेतु पार्ट दर से भुगतान किया गया परन्तु न तो इन मदों के निष्पादन और न ही भुगतान की जा रही दरों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण में दर्शाई गई। अतः उक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाये:-

माप पुस्तिका सं०	पृ० सं०	माप पुस्तिका में मद का क्रम	राशि (₹) में
260/16	10	2/5 (बी)	217560
	18	18	29820
	19	19	42000
	19	20	25200
	19-20	21	12000
योग			₹326580

13 10083 कि० मी० यात्रा का विवरण प्रस्तुत न करना

वाहन संख्या एच०पी०-51-ए-0024 (इनोवा) की लॉग बुक की जांच हेतु दिनांक 26-4-2016 से यात्रा विवरण दर्शाई गई लॉग बुक ही अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई। दिनांक 01-4-2016 को ओपनिंग मीटर रीडिंग सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित अभिलेख के अंतर्गत प्रस्तुत लॉग बुक में दिनांक 16-10-2015 तक की ही यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत लॉग बुकों के अवलोकन पर पाया गया कि खण्ड-1 (Volume-1) पृ० 168 पर दिनांक 16-10-2015 को कलोजिंग मीटर रीडिंग 271436 कि०मी० तथा लॉग बुक खण्ड-4 पृ० 3 पर दिनांक 26-4-2016 को ओपनिंग मीटर रीडिंग 281519 कि०मी० दर्शाई गई थी जिससे इस तथ्य का निर्धारण किया गया कि दिनांक 17-10-2015 से 25-4-2016 तक 10083 कि० मी० गाड़ी चलाई गई थी। सम्बंधित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाने के कारण न तो दिनांक 01-4-2016 को गाड़ी की ओपनिंग मीटर रीडिंग सुनिश्चित की जा सकी और न ही उक्त 10083 कि० मी० तक चलाई गई गाड़ी तथा उसके उद्देश्य की सत्यता की जांच की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये अन्यथा 10083 कि० मी० तक चलाई गई गाड़ी की हिमुडा द्वारा निर्धारित आऊट टर्न दर ₹35.04 प्रति किलोमीटर के आधार पर ₹353308 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाये।

14 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश वितीय नियम, 1971- खंड -1 के नियम 15.17 के अनुसार स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जाना अपेक्षित है। परंतु हिमुडा विद्युत मंडल द्वारा खरीदी गई सामग्री का वर्ष 2014-15 के उपरांत से अंकेक्षण अवधि तक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था। अतः स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे औचित्य स्पष्ट

किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। समस्त लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया है।

16 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता के साथ-2 गत अंकेक्षण प्रतिदनों के अनिर्णीत अनुच्छेदों के निपटारे हेतु उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(14) 135 / 90 खण्ड-7-3969-3971 दिनांक01.06.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला-09 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार शिमला-171002
 - 3 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-02

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

परिशिष्ट "क"

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटान में की गई कार्यवाही के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/92 से 03/93

1 पैरा 15 अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/95 से 03/96

1 पैरा 22 अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/97 से 03/98

1 पैरा 29 अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/98 से 03/99

1 पैरा 23 अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 03/2000

1 पैरा 18 अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2001

1 पैरा 11 अनिर्णीत

2 पैरा 29 अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2001 से 03/2002

1 पैरा 15 अनिर्णीत

2 पैरा 26 अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2003

1 पैरा 23 अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2004

1 पैरा 15 अनिर्णीत

2 पैरा 17 अनिर्णीत

3 पैरा 20 अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2005

1 पैरा 10(क) अनिर्णीत

2	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 10(ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 18	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 2005 से 03 / 2006

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 2006 से 03 / 2007

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 2007 से 03 / 2008

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 13	अनिर्णीत

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 2008 से 03 / 2009

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 12 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 12 (घ)	अनिर्णीत

(15) अंकुषण डुरतलवेदन अवधल 04/2009 से 03/2010

1	डैरल 6	अनलरुणलत
2	डैरल 7	अनलरुणलत
3	डैरल 8	अनलरुणलत
4	डैरल 10	अनलरुणलत
5	डैरल 11	अनलरुणलत
6	डैरल 12	अनलरुणलत
7	डैरल 13	अनलरुणलत
8	डैरल 16	अनलरुणलत

(16) अंकुषण डुरतलवेदन अवधल 4/2010 से 3/2011

1	डैरल 7 (1)	अनलरुणलत
2	डैरल 7 (2)	अनलरुणलत
3	डैरल 7 (3)	अनलरुणलत
4	डैरल 7 (4)	अनलरुणलत
5	डैरल 7 (5)	अनलरुणलत
6	डैरल 8	अनलरुणलत
7	डैरल 9	अनलरुणलत
8	डैरल 10	अनलरुणलत
9	डैरल 11	अनलरुणलत

(17) अंकुषण डुरतलवेदन अवधल 4/2011 से 3/2012

1	डैरल 7	अनलरुणलत
2	डैरल 9	अनलरुणलत
3	डैरल 10	अनलरुणलत
4	डैरल 11	अनलरुणलत
5	डैरल 12 (1)	अनलरुणलत
6	डैरल 12 (2)	अनलरुणलत

(18) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा 10 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा 10 (4)	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत

(19) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा 7 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत

(20) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत

(21) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2016

1	पैरा 4 (क 1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित)
2	पैरा 4 (क 2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित)
3	पैरा 4 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित)
4	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित)
5	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित)
6	पैरा 7	निर्णीत	(संवैधानिक कटौतियाँ एम0बी0 242/2014 पृष्ठ 78 पर अंकित बिल से कर ली गई है)
7	पैरा 8	अनिर्णीत	
8	पैरा 9	अनिर्णीत	
9	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत	

10	पैरा 10 (2)	अनिर्णीत	
11	पैरा 11	अनिर्णीत	
12	पैरा 12	अनिर्णीत	
13	पैरा 13	अनिर्णीत	
14	पैरा 14	निर्णीत	(चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति व यात्रा भत्ते हेतु स्टॉफ अग्रिम का भुगतान नहीं किया जा रहा है)
15	पैरा 15	अनिर्णीत	
16	पैरा 16	निर्णीत	(हिमुडा द्वारा मूल अंकेक्षण पर अंकित उत्तर के अनुसार एच0पी0 51 (ए)-0744 की कोई भी गाड़ी हिमुडा के नाम पंजीकृत नहीं है तथा वाहन नं0 एच0पी0 03-बी-0744 की लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई है।)

1.4.2016 को अनिर्णीत पैरों का गतशेष	94
वर्तमान अंकेक्षण अवधि में लगाए गए पैरे	(+) 11
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए पैरे	(-)8
31.3.2017 को अन्तिम शेष	97